

फायनल डिक्ली मुकदमात
(ओ. नं. 6 व 7 जाप्ता दीवानी)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खानपुर जिला झालावाड़
(पीठासीन अधिकारी - श्री प्रमोदकुमार सिंधव आर.ए.एस.)

मिसल नं० 791/दावा/2017
दायरा दि० 28/07/2017

उनवान

1. लदूर पुत्र जगन्नाथ जाति धाकड़ निवासी हथोला तह० खानपुर जिला झालावाड़
2. मृतक मांगीबाई पुत्री देवा धाकड़ निवासी हथोला तह० खानपुर जिला झालावाड़
2/1 केदार माता मांगीबाई पुत्र भैरूलाल जाति धाकड़ निवासी बरेड़ा तह० खानपुर
2/2 जमनालाल माता मांगीबाई पुत्र भैरूलाल जाति धाकड़ नि० बरेड़ा तह० खानपुर
2/3 रामहेतार माता मांगीबाई पुत्र भैरूलाल जाति धाकड़ नि० बरेड़ा तह० खानपुर
2/4 सुगनाबाई माता मांगीबाई पुत्री भैरूलाल जाति धाकड़ नि० बरेड़ा तह० खानपुर
3. ज्यानाबाई पुत्री देवा धाकड़ निवासी हथोला तह० खानपुर जिला झालावाड़
4. बिरधीबाई पुत्री देवा जाति धाकड़ नि० बरेड़ा तह० खानपुर

— वादी

बनाम

1. नंदकिशोर पुत्र मोती जाति धाकड़ निवासी हथोला तह० खानपुर
2. गुलाबबाई पुत्री मोती जाति धाकड़ निवासी हथोला तह० खानपुर
3. भूलीबाई पुत्री मोती जाति धाकड़ निवासी हथोला तह० खानपुर
4. मृतक नटीबाई पुत्री मोती जाति धाकड़ निवासी हथोला तह० खानपुर
4/1 रामभरोस माता नटीबाई पुत्र रामनाथ जाति धाकड़ नि० हथोला तह० खानपुर
4/2 रामचरण माता नटीबाई पुत्र रामनाथ जाति धाकड़ नि० हथोला तह० खानपुर
4/3 हेमराज माता नटीबाई पुत्र रामनाथ जाति धाकड़ नि० हथोला तह० खानपुर
4/4 रामप्यारी माता नटीबाई पुत्री रामनाथ जाति धाकड़ नि० हथोला तह० खानपुर
4/5 मनोहरबाई माता नटीबाई पुत्री रामनाथ जाति धाकड़ नि० हथोला तह० खानपुर
4/6 संतोषबाई माता नटीबाई पुत्री रामनाथ जाति धाकड़ नि० हथोला तह० खानपुर
5. बिरजीबाई पुत्री मोती जाति धाकड़ निवासी हथोला तह० खानपुर
6. चंद्रसिंह पुत्र कालूसिंह जाति राजपूत निवासी हथोला तह० खानपुर
7. लक्ष्मणसिंह पुत्र कालूसिंह जाति राजपूत निवासी हथोला तह० खानपुर
8. शाखा प्रबन्धक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा सारोलाकलां तह० खानपुर
9. राजस्थान राज्य जर्ने तहसीलदार तहसील खानपुर जिला झालावाड़

— प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 53, 209 आर.टी.एक्ट 1955

आज यह मुकदमा वास्ते इन फिसाल कतई रुबरु मुझ श्री प्रमोदकुमार सिंधव आर.ए.एस.) व हाजरी
प्रतिवादीगण मिन जानिब मुद्दई श्री गिरधारीलाल नागर एडवोकेट वादी रुबरु - एक पक्षीय जानिब मुद्दद्वालय
पेशा होकर आदेश दिया जाता है कि :-

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

न्यायालय हाजा के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.01.2019 की अनुपालना में तहसीलदार खानपुर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम हथोली की जमाबंदी सं० 2072-75 की खाता सं० नया 76 की ख.न. 58 की 6.14 बीघा, ख.न. 59 की 0.04 बीघा, ख.न. 60 की 1.02 बीघा, ख.न. 61 की 7.04 बीघा कुल 04 किता की 15.04 बीघा आराजी में पक्षकारान के दर्ज हिस्से का विभाजन निम्न प्रकार किया जाकर पृथक खाता कायम किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है।

वादीगण - केदारलाल, जमनालाल, रामहेतार पुत्र श्री भैरूलाल, सुगनबाई पुत्री भैरूलाल हिस्सा 1/4 हिस्सा बराबर, ज्यानाबाई, विरधीबाई पुत्री देवा हिस्सा 1/2 हिस्सा बराबर, लदूर पुत्र जगन्नाथ हिस्सा 1/4 जाति धाकड निवासी हथोला तह० खानपुर जिला झालावाड

क० सं०	नाम ग्राम	ख०नं०	रकबा	किस्म	लगान	दिशा
1	हथोली की खाता सं. 76	58	5.02 बीघा	बारानी दोयम	5.10	पश्चिम

प्रतिवादीगण - लक्ष्मणसिंह, चन्द्रसिंह पुत्र कालूसिंह हि. 1/2 जाति राजपूत, नन्दकिशोर पुत्र मोती हि. 1/3, नटीबाई पुत्री मोती हि. 1/12, रामनाथी धर्मपत्नि स्व. मोती हि. 1/12 जाति धाकड नि० हथोला खातेदार रहन चन्द्रसिंह का हि. 1/4 सी.बी.आई. शाखा सारोलाकलां

क० सं०	नाम ग्राम	ख०नं०	रकबा	किस्म	लगा न	दिशा
1	हथोली की खाता सं. 76	58	1.12 बीघा	बारानी दोयम	1.60	पूरब
		59	0.04 बीघा	बीड दोयम	0.12	सम्पूर्ण
		60	1.02 बीघा	बीड दोयम	0.66	सम्पूर्ण
		61	7.04 बीघा	बारानी दोयम	7.20	सम्पूर्ण
कुल 04 किता			10.02 बीघा	-	9.58	

उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हो। पृथक लगान कायम किया जावे तथा पृथक खाते दर्ज होने वाली आराजी पर वादी को कब्जा भी दिया जावे। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। साथ ही जमाबंदी में शेष खातेदारान पृवष्टिया यथावत रहेगी।

यह डिक्री आज दिनांक 11/02/2020 को हमारे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मोहर से जारी की गई।



[Handwritten Signature]
 उपसहायक अधिकारी
 खानपुर जिला झालावाड़
 (राजस्थान)

